



प्रेषक,

अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर,
लखनऊ ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 01 मार्च, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रु० 1000.00 करोड में से यूटीलिटी शिफ्टिंग आदि मदों में शासनादेश सं०-12/2018/1413/77-3-2018-06बजट/16 दिनांक 20.04.2018 द्वारा आवंटित धनराशि रु० 400.00 करोड में से रु० 15.00 करोड भूमि अधिग्रहण मद में व्यय करने की अनुमति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-5941/यूपीडा/लेखा/17/599-2, दिनांक 08.02.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत धनराशि रु० 1000.00 करोड का प्राविधान किया गया है जिसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु संबंधित जनपदों को भूमि क्रय मद में शासनादेश सं०-11/2018/1171/77-3-18-06बजट/16 दिनांक 16.04.2018 द्वारा रु० 450.00 करोड, शासनादेश सं०-15/2018/1803/77-3-2018-06बजट/16टी०सी०, दिनांक 21.05.2018 द्वारा रु० 60.00 करोड एवं शासनादेश सं०-18/2018/2182/77-3-2018-06बजट/16टी०सी०, 02.07.2018 द्वारा रु० 90.00 करोड अर्थात् कुल रु० 600.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई। यूटीलिटी शिफ्टिंग आदि मदों में शासनादेश संख्या-12/2018/1413/77-3-2018-06बजट/16 दिनांक 20.04.2018 द्वारा धनराशि रु० 400.00 करोड स्वीकृत की गई है। यूपीडा के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24.01.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्वीकृत धनराशि रु० 400.00 करोड में से रु० 300.00 करोड का आहरण कोषागार से कर व्यय किया जा रहा है। अवशेष धनराशि रु० 100.00 की यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में आवश्यकता नहीं है। शासनादेश सं०-4/2019/175/77-3-19-06बजट/16, दिनांक 07.02.2019 द्वारा रु० 55.00 करोड के व्यय की अनुमति दी गई है। अतः यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में से अवशेष धनराशि रु० 45.00 करोड में से रु० 15.00 करोड जनपद सुल्तानपुर को भूमि क्रय मद में व्यय करने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में से ₹ 15.00 करोड़ की धनराशि जिलाधिकारी सुल्तानपुर को भूमि क्रय के मद में व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

- (1) धनराशि आहरित करके संबंधित जिलाधिकारी के डिपॉजिट खाते में जमा की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि का आहरण डिपॉजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
- (3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के साक्ष्य उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाये। अतः जिलाधिकारी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।
- (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उपर्युक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 15.00 करोड़ (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामों डाला जायेगा।

भवदीय,

अनिल कुमार

उप सचिव

संख्या-7/2019/333(1)/77-3-2019, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ ।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।